

वविाद से वशिवास- II

हाल ही में ववित्त मंत्रालय ने सरकार और सरकारी उपकरुुओं के लंबति अनुबंधातुुमक वविादों के प्रभावी नपिटान हेतु "वविाद से वशिवास II" योजना शुरू की है।

- इस योजना की घोषणा [केंद्रीय बजट 2023-24](#) में केंद्रीय ववित्त मंत्री द्वारा की गई थी।

वविाद से वशिवास-II योजना:

- परचिय:
 - यह सरकारी एजेंसियों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अनुबंधातुुमक वविादों को हल करने के लिये एक **सुवैच्छिक नपिटान योजना** है।
 - यह **वशिष रूप से उन वविादों के लिये डजिाइन की गई है जहाँ मध्यस्थता पुरस्कार** को न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।
 - **मध्यस्थता पुरस्कार:** यह एक ऐसा पुरस्कार है जो **मध्यस्थता कार्यवाही को अंतमि रूप देता है।**
 - योजना के तहत मानकीकृत शरुुतें पेश की जाएंगी और **वविाद के लंबति होने के सुतर के आधार** पर श्रेणीबद्ध नपिटान वकिलप प्रदान किये जाएंगे।
- उददेश्य:
 - इस योजना का उददेश्य **अनुबंधातुुमक वविादों को कुशलतापूर्वक हल करने** के लिये एक मंच प्रदान करना, सरकार के साथ व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना और देश में नए निवेश को प्रोत्साहति करना है।
- कार्यान्वयन:
 - इसे [गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस \(GeM\)](#) पोर्टल पर ऑनलाइन कार्यकुषमता के माध्यम से कार्यान्वति किया जाएगा।
- सुरकुषा:
 - यह योजना सभी वविादों से बचाएगी जसिमें केंद्र सरकार की एजेंसियों, स्वायतत नकियाय, सार्वजनिक कुषेत्र के बैंक एवं ववित्तीय संस्थान, केंद्रीय सार्वजनिक कुषेत्र की फरुुम, केंद्रशासति प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी कुषेत्र दलिली के साथ-साथ उनकी संबधति एजेंसियों भी शामिल होंगी।
 - हालाँकि मेट्रो कॉरपोरेशन जैसे संगठन जहाँ **केंद्र की 50% हसिसेदारी** है, अपने वविक से इस योजना से पृथक रहने का वकिलप चुन सकते हैं, बशरुते उन्हें बोर्ड की सुवीकृता की आवशुकता होगी।
- समझौता राशऱि:
 - न्यायालयी फ़ैसलों से संबधति मामलों में **टेकेदार को भुगतान की गई समझौता राशऱि** न्यायालय द्वारा प्रदान की गई कुल राशऱिका **85%** तक होगी, जबकि **मध्यस्थता नरिणियों से संबधति मामलों में यह सीमा कुल राशऱिका 65%** होगी।

नोट: इससे पहले ववित्त मंत्रालय ने [सुकषम, लघु और मध्यम उदयुुओं \(MSME\)](#) को [कोवडि-19](#) अवधदौरान राहत प्रदान करने के लिये "वविाद से वशिवास - MSME को राहत" योजना प्रारंभ की थी।

[सरोत: पी.आई.बी.](#)